(33)

(190)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल बोर्ड ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

RS-301/-

1. श्रीमती गीतादेवी पति श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय उम्र 40 वर्ष, पेशा घरूकार्य, निवासी ग्राम दसियापुर थाना अन्तू तह0सदर जिला प्रतापगढ उ.प्र. --आवेदिका निगरानीकर्ता / अपीलार्थिया

R 5011-II/17

बनाम्

विधाप्रसाद पिता केमला राम द्विवेदी नि0मो0सोहागी, तह0त्योंथर जिलारीवा म0प्र0

§2§ म0प्र0 शासन -- गैरनिगराकार/अना0गण

अधि0श्री रमाशंकर सिंह, उपस्थित द्वारा प्रस्तुत/10-1-17

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल चाक तह0त्योंथर जिला रीवा केन्यायालयीन सीमांकन प्रकरण क्र0 54अ12/2014-15 आदेश दिनांक 23/5/2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-रा.सं. 1959ई0

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न है:-

§1§ यहकि मातहत न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल चाक द्वारा पारित आदेश विधिंप्रक्रिया एवं सहादत नियमों के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

§2§ यहकि मातहत न्यायालय द्वारा सीमांकन किये जाते समय इस कानूनी एवं वाक्याती बिन्दु पर कतई गौर नही किया हैकि सीमांकन हेतु की गई सूचना में सरहद्दी कृषकों को सूचित किया जाना आवश्यक था किन्तु उक्त आराजी ख0 क्र0667 के समस्त सरहद्दी काश्तकारों को सूचित न किये जाने से उक्त आदेश स्वमेव अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है।

गीतापाण्डेय

(83)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0--**5011-II**/2017 जिला–रीवा

श्रीमती गीता देवी/विद्या प्रसाद द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रमाशंकर सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त चाकघाट तहसील त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 54/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा) सदस्य	